न्यायालय–नवम् अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर (म0प्र0)
(पीठासीन अधिकारी–आत्माराम टांक)

Registration No.	:	ST 108/2026
Filing No.	:	5382/2026
CNR No.	:	MP0701-007584-2026
Filing Date.	:	07-04-2026

न्यायालयः–न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला ग्वालियर श्री भूपेन्द्र सिंह कुशवाह के न्यायालय के दांडिक प्रकरण क्रमांक 7464/2025 (पुलिस थाना मुरार जिला ग्वालियर के अपराध क्रमांक 115/2025 अंतर्गत धारा 109, 296, 351(3), 3(5) बी.एन.एस.) मध्यप्रदेश राज्य द्वारा पुलिस थाना मुरार विरूद्ध रघुवीर उर्फ बंटी एवं आदि में पारित उपार्पण आदेश दिनांक 01.04. 2026 से उद्भूत सत्र प्रकरण।

परिवादीः–	म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र मुरार जिला ग्वालियर म.प्र.
प्रतिनिधित्व द्वाराः–	श्री गजेन्द्र साहू अतिरिक्त लोक अभियोजक।
अभियुक्तगणः–	**01.** रघुवीर उर्फ बंटी पाठक पुत्र स्व. श्री दयानंद पाठक, आयु–45 वर्ष, व्यवसाय–खेती, निवासी–सदर बाजार, मुरार जिला ग्वालियर (म.प्र.) **02.** गट्टा उर्फ सिद्धांत पाठक पुत्र स्व. श्री नारायण पाठक, आयु–29 वर्ष, व्यवसाय–खेती, निवासी–काशीदास की बगिया, भगवती कॉलौनी,

	मुरार जिला ग्वालियर (म.प्र.) **03.** विकास पाठक पुत्र नारायण पाठक, आयु–30 वर्ष, व्यवसाय–किसानी, निवासी– ग्राम भरतपुरा साहनी थाना उटीला जिला ग्वालियर (म.प्र.)
प्रतिनिधित्व द्वारा:–	अभियुक्त क्रमांक 01 की ओर से श्री रवि द्विवेदी अधिवक्ता। अभियुक्त क्रमांक 02 प 03 की ओर से श्री अरूण पटेरिया अधिवक्ता एवं सुश्री दीक्षा खत्री अधिवक्ता।

प्रारूप–ड

अपराध की तारीख	12.03.2025
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तारीख	13.03.2025
अभियोग पत्र प्रस्तुति दिनांक	29.12.2025
आरोपों के विरचना की तारीख	23.04.2026
साक्ष्य प्रारंभ किये जाने की तारीख	06.05.2026
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तारीख	28.07.2026
निर्णय की दिनांक	30.07.2026
दंडादेश यदि कोई हो, की तारीख	निरंक

प्रारूप–च

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन साक्षियों की सूची

क. अभियोजन

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ

		साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंचसाक्षी, अन्य)
अ.सा. 01	प्रधान आरक्षक रामकिशन शर्मा	प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक
अ.सा. 02	जितेन्द्र सिंह	नक्शा मौका साक्षी
अ.सा. 03	हरेन्द्र	फरियादी साक्षी
अ.सा. 04	जितेन्द्र शर्मा	मेमोरेण्डम/जब्ती साक्षी
अ.सा. 05	प्रधान आरक्षक विष्णुकांत शर्मा	देहाती नालसी लेखक/अनुसंधानकर्ता
अ.सा. 06	आरक्षक राजेश सिंह	जब्ती साक्षी
अ.सा. 07	डॉ. नवीन कुशवाह	चिकित्सकीय साक्षी
अ.सा. 08	डॉ. नितिन तिवारी	चिकित्सकीय साक्षी

<u>ख. प्रतिरक्षा साक्षी, यदि कोई हो–</u>

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंचसाक्षी, अन्य)
निरंक	निरंक	निरंक

<u>ग. न्यायालीन साक्षी यदि कोई हो–</u>

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस

		साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंचसाक्षी, अन्य)
निरंक	निरंक	निरंक

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची
क. अभियोजन

स.क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
01	प्रदर्श पी 01/अ.सा.01	देहाती नालसी
02	प्रदर्श पी 02/अ.सा.01	प्रथम सूचना रिपोर्ट
03	प्रदर्श पी 03/अ.सा.02	अपराध विवरण फार्म
04	प्रदर्श पी 04/अ.सा.02	आरोपी बंटी उर्फ रघुवरी का मेमोरेण्डम कथन
05	प्रदर्श पी 05/अ.सा.02	संपत्ति जब्ती पत्रक
06	प्रदर्श पी 06/अ.सा.02	इलाज की अनुमति एवं अनुबंध
07	प्रदर्श पी 07/अ.सा.02	जितेन्द्र सिंह के पुलिस कथन
08	प्रदर्श पी 08/अ.सा.03	हरेन्द्र गुर्जर के पुलिस कथन
09	प्रदर्श पी 09/अ.सा.05	घायल का कथन लेने बावत् अनुमति
10	प्रदर्श पी 10/अ.सा.05	पत्र
11	प्रदर्श पी 11 लगायत 13/अ.सा.05	आरोपीगण को दिये गये नोटिस
12	प्रदर्श पी 14/अ.सा.05	पत्र
13	प्रदर्श पी 15/अ.सा.05	मरीज की अभिमत रिपोर्ट भेजने

		बावत् पत्र
14	प्रदर्श पी 16/अ.सा.07	क्यूरि अभिमत
15	प्रदर्श पी 17/अ.सा.07	हरेन्द्र की एमएलसी

ख. प्रतिरक्षा प्रदर्शों की सूची

सं. क्रं.	प्रदर्श	विवरण
01	प्रदर्श डी 01/अ.सा.01	हरेन्द्र की एमएलसी

ग. न्यायालीन प्रदर्श की सूची

सं. क्रं.	प्रदर्श	विवरण
निरंक	निरंक	निरंक

घ. आवश्यक वस्तुयें

सं. क्रं.	भौतिक सामग्री संख्या	विवरण
1	आर्टिकल ए–1	छुरी
2	आर्टिकल ए–2	जब्ती चिट

–: निर्णय :–

(आज दिनांक 30.07.2026 को घोषित)

01. अभियुक्त रघुवीर उर्फ बंटी के विरूद्ध बी.एन.एस की धारा 296, 118(2), 109 एवं 351(3) तथा अभियुक्त गट्टा उर्फ सिद्धांत एवं विकास पाठक के विरूद्ध बी.एन.एस की धारा 296, 118(2) सहपठित धारा

3(5), 109 सहपठित धारा 3(5) एवं 351(3) के अंतर्गत आरोप है कि उन्होंने दिनांक 12.03.2025 को रात्रि 21:45 बजे से 21:55 बजे के मध्य बारादरी कुंआ की गली, बारादरी चौराहा अंतर्गत पुलिस थाना मुरार जिला ग्वालियर में आहत हरेन्द्र को लोकस्थन या उसके समीप अश्लील गालियां उच्चारित कर उसे एवं सुनने वालों को क्षोभ कारित किया तथा आहत हरेन्द्र को चाकू जो कि एक खतरनाक, धारदार आयुध के रूप में प्रयुक्त हो सकता है, से मारपीट कर उसके पेट में स्वेच्छया घोर उपहति कारित की तथा आहत हरेन्द्र को जान से मारने के आशय से चाकू जो कि एक खतरनाक, धारदार आयुध के रूप में प्रयुक्त हो सकता है, से प्राण घातक प्रहार किया, यदि उक्त कार्य द्वारा आप उसकी मृत्यु कारित कर देते तो आप हत्या के दोषी होते एवं आहत हरेन्द्र को संत्रासित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

02. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 12.03.2025 को रात्रि लगभग 09:45 बजे फरियादी जितेन्द्र सिंह अपने भाई हरेन्द्र सिंह के साथ बारादरी कुआ की गली में कुछ सामान लेने गया था, वह थोडा दूर चला गया था। जब उसने देखा तो तीन लोग उसके भाई की मारपीट कर रहे थे पास आकर देखा तो वह मॉ बहन की गंदी गंदी गालियां दे रहे थे एवं जान से मारने की धमकी दे रहे थे तभी उसके सामने बंटी पाठक ने एक चाकू निकालकर उसके भाई हरेन्द्र के पेट में मार दिया और बंटी व उसके दो अन्य साथी भाग गये। वह अपने भाई हरेन्द्र को लेकर थाना मुरार पहुंचा बाद मुरार चिकित्सालय पहुंचा जहां से उसके भाई को जी.आर.एम.सी. चिकित्सालय रैफर कर दिया गया।

03. फरियादी जितेन्द्र सिंह की मौखिक रिपोर्ट पर से देहाती नालसी प्रपी–01 लेखबद्ध की गई जिस पर से पुलिस थाना मुरार में अपराध क. 115/2025 धारा 118 (1), 296, 115(2), 351(3), 3(5), 118(2) बी.एन.एस. के हत पंजीबद्ध किया गया तथा प्रकरण को विवेचना में लिया गया। आरोपीगण के विरूद्ध संपूर्ण अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायिक

मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, ग्वालियर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उपार्पण उपरांत अंतरण पर प्रकरण सत्र विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

04. इस न्यायालय द्वारा अभियुक्त रघवुरी उर्फ बंटी के विरूद्ध धारा 296, 118(2), 109 एवं 351(3) तथा शेष अभियुक्तगण विकास एवं गट्टा उर्फ सिद्धांत पाठक के विरूद्ध धारा 296, 118(2) सहपठित धारा 3(5), 109 सहपठित धारा 3(5) एवं 351(3) के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर अभियुक्तगण द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। अभियोजन साक्ष्य उपरांत धारा 313 दप्रस के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर अभियुक्तगण द्वारा स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फसाया जाना व्यक्त किया, परंतु अभियुक्तगण की ओर से बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है।

05. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न निर्मित हुये हैं कि—

क्रमांक	विचारणीय प्रश्न
1.	क्या आरोपीगण द्वारा दिनांक 12.03.2025 को रात्रि 21:45 बजे से 21:55 बजे के मध्य बारादरी कुंआ की गली, बारादरी चौराहा पर आहत हरेन्द्र को लोकस्थन या उसके समीप अश्लील गालियां उच्चारित कर उसे एवं सुनने वालों को क्षोभ कारित किया?
2.	क्या आरोपी रघुवीर उर्फ बंटी पाठक ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर चाकू को आक्रामक आयुध के रूप में प्रयोग करते हुये आहत हरेन्द्र की उक्त चाकू से मारपीट कर उसके पेट में स्वेच्छया घोर उपहति कारित की ?
3.	क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर आरोपी रघुवीर उर्फ बंटी पाठक द्वारा अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर आहत हरेन्द्र को खतरनाम आयुध चाकू से मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित

	किया तथा उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में आहत हरेन्द्र को खतरनाक धारदार आयुध चाकू से मारपीट कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की ?
4.	क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान आरोपी रघुवीर उर्फ बंटी पाठक ने आहत हरेन्द्र को जान से मारने के आशय से चाकू जो कि एक खतरनाक, धारदार आयुध के रूप में प्रयुक्त कर प्राण घातक प्रहार किया, यदि उक्त कार्य से मृत्यु कारित होती तो वह हत्या का दोषी होता ?
5.	क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर आहत हरेन्द्र को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?
6.	दोषसिद्धि तथा दण्डादेश, यदि कोई हो ?

: : सकारण निष्कर्ष : :

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 लगायत 5 पर विवेचना एवं निष्कर्ष :–

06. उक्त सभी विचारणीय बिंदु की साक्ष्य एवं तथ्य एक–दूसरे में समाहित होने से पुनरावृत्ति से बचने के लिये इनका निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

07. प्रधान आरक्षक रामकिशन शर्मा (अ.सा.01) की अभिसाक्ष्य अनुसार दिनांक 13.03.2025 को कार्यवाहक ए.एस.आई. 1690 विष्णुकांत द्वारा प्रपी–01 की देहाती नालसी की असल कायमी हेतु थाने पर लाकर पेश करने पर उसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी–02 लेखबद्ध कराई गई थी। उक्त साक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षण में इस बात को स्वीकार किया कि फरियादी जितेन्द्र ने देहाती नालसी में आरोपी विकास पाठक व गट्टा उर्फ सिद्धांत का नाम लेख नहीं कराया था। यह सही बताया कि फरियादी ने रिपोर्ट

दिनांक 13.03.2025 को शाम 05:50 मिनट पर की थी जबकि घटना दिनांक 12.03.2025 को रात 09:45 बजे की है।

08. अनुसंधानकर्ता अधिकारी प्रधान आरक्षक विष्णुकांत शर्मा (अ.सा.–05) की अभिसाक्ष्य के अनुसार दिनांक 13.03.2025 को उसके द्वारा थाना प्रभारी के आदेश पर जी.आर.एम.सी. चिकित्सालय सर्जरी वार्ड आई.सी.यू. ग्वालियर में फरियादी जितेन्द्र सिंह की देहाती नालसी प्रपी–01 उसके द्वारा लेखबद्ध की गई थी। उक्त देहाती नालसी पर से उसके द्वारा अपराध क्र. 115/25 अंतर्गत धारा 118(1), 296, 115(2), 351(3), 3(5) की एफआईआर प्रपी–02 उसके द्वारा दिनांक 13.03.2025 को लेखबद्ध कराई गई थी। उक्त दिनांक को घायल मरीज हरेन्द्र के कथन लेने हेतु जीआरएमसी चिकित्सा, ग्वालियर के प्रभारी को पत्र प्रपी–09 जारी किया गया था। दिनांक 14.03.2025 को उक्त अपराध की अग्रिम विवेचना के दौरान फरियादी की निशानदेही पर नक्शा मौका प्रपी–03 उसके द्वारा तैयार किया गया था। उसके द्वारा उक्त दिनांक को फरियादी जितेन्द्र, हरेन्द्र के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये थे। दिनांक 01.04.2025 को उसके द्वारा अधीक्षक जेएच अस्पताल ग्वालियर को आहत हरेन्द्र की एक्सरा रिपोर्ट, सी.टी. स्केन रिपोर्ट एवं इलाज संबंधी दस्तावेज एवं बेडहेड टिकिट प्रदाय करने बावत् पत्र जारी किया गया था जो प्रपी–10 है।

09. साक्षी ने अग्रेतर कथन में बताया कि दिनांक 29.05.2025 को आरोपी रघुवीर उर्फ बंटी पाठक, गट्टा उर्फ सिद्धांत पाठक, विकास पाठक को गिरफ्तार कर धारा 35(1) बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत नोटिस प्रपी–11 लगायत प्रपी–13 पर से आरोपीगण को छोडा गया। उक्त दिनांक को आरोपी बंटी उर्फ रघुवीर पाठक से समक्ष साक्षीगण उसके द्वारा पुलिस अभिरक्षा में पूछताछ की गई थी। आरोपी द्वारा बताया गया था कि घटना में प्रयुक्त चाकू उसने अपने घर में छिपा कर रख दिया है, चलो चलकर बरामद कराये देता हूं। आरोपी के बताये अनुसार 23(2) भारती साक्ष्य

अधिनियम का मेमोरेण्डम प्रपी–04 उसके द्वारा तैयार किया गया था। उक्त दिनांक को आरोपी बंटी उर्फ रघुवीर पाठक के घर सदर बाजार मुरार ग्वालियर से समक्ष साक्षीगण आरोपी के घर के कमरे में बनी अलमारी में ईंटो के पीछे से एक चाकू घरेलू उपयोग वाला जब्त कर जब्ती पत्रक प्रपी–05 तैयार किया गया था। दिनांक 29.07.2025 को उसके द्वारा मेडीकल ऑफिसर जे.एच. ग्वालियर को आहत हरेन्द्र सिंह के आई चोटों की प्रकृति करने के संबंध में पत्र जारी किया गया था जो प्रपी–14 है। दिनांक 04.09. 2025 को संयुक्त संचालक जयारोग्य चिकित्सालय ग्वालियर से पत्र प्राप्त हुआ था जो प्रपी–15 है। अपराध की विवेचना करने के उपरांत उसके द्वारा धारा 118(2) का इजाफा कर चालान कता किया गया। सब्जी काटने की छुरी जिस पर पीले रंग का प्लास्टिक का बेट लगा हुआ है तथा उक्त चाकू पर जब्ती चिट चस्पा है, उक्त छुरी वही है जिसे आरोपी बंटी उर्फ रघुवीर से उसके द्वारा जब्त किया गया था। जब्तशुदा छुरी आर्टिकल ए–01 तथा जब्ती चिट आर्टिकल ए–02 है।

10. साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि प्रपी–1 की देहाती नालसी में इस बात का उल्लेख नहीं है कि देहाती नालसी लेने से पूर्व उसने किसी डॉक्टर से यह प्रमाणीकरण लिया हो कि आहत जितेन्द्र सिंह सचेत अवस्था में है और बयान देने के लिये सक्षम है और प्रपी–01 में यह भी उल्लेख नहीं है कि उसके द्वारा दी गई जानकारी लिखने के बाद उसने उसे बाद में पढकर सुनाया या समझाया हो यह सही बताया कि प्रपी–05 में यह उल्लेख नहीं है कि उसने जब्ती के बाद ही वहीं उस चाकू को सील बंद भी किया था।

11. आरक्षक राजेश सिंह (अ.सा.06) की अभिसाक्ष्य के अनुसार दिनांक 29.05.2025 को प्रधान आरक्षक विष्णुकांत शर्मा द्वारा आरोपी बंटी उर्फ रघुवीर पाठक से उसके समक्ष आरोपी के मकान के कमरे में बनी अलमारी में ईंटों के पीछे से एक चाकू घरेलू उपयोग वाला निकालकर जब्त कर जब्ती पत्रक प्रपी–05 तैयार किया था।

12. डॉक्टर नवीन कुशवाह (अ.सा.07) की अभिसाक्ष्य के अनुसार वह दिनांक 13.04.2025 को जी.आर.एम.सी. कॉलेज में सर्जरी विभाग में प्रोफेसर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को रात के 01:00 बजे मरीज हरेन्द्र सिंह गुर्जर को इमरजेंसी विभाग जयारोग्य चिकित्सालय में आया जहां उसका प्राथमिक उपचार कर इलाज चालू किया गया। मरीज के पेट के उपरी हिस्से में स्टेब इंजरी थी। मरीज की जांच की गई, ब्लड टेस्ट करवाये गये। पेट में एक 3 गुणा 0.5 से.मी. की स्टेब इंजुरी थी। एक घाव पेट के उपरी हिस्से पर था। मरीज के लेबोरेटिक टेस्ट व जांच करवाई गई और बोतल व इंजेक्शन चालू किये गये, मरीज का पेट का अल्ट्रासाउण्ड करवाया गया एवं जांच के पश्चात् मरीज को पेट के ऑपरेशन के लिये प्लॉन किया गया। ऑपरेशन करने वाली टीम में डॉ. चन्द्रकला दत्त, डॉ. गगनदीप, डॉ. अमित ओझा, डॉ. साक्षी जैन, डॉ. आनंद मालवीय एवं डॉ. अचल गुप्ता के मार्गदर्शन में ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान मरीज की स्थिति ठीक थी।

13. साक्षी ने अपने अग्रेतर कथन में बताया है कि मरीज के संबंध में उससे अभिमत लिया गया था, उस समय वह मेडकल बोर्ड में था। उसने अपने अभिमत में बताया था कि यदि मरीज का ऑपरेशन नहीं किया जाता तो उसके जो घाव थे वे प्राण घातक हो सकते थे। अतः चोट खतरनाक प्रकृति की थी। उसके द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट प्रपी–16 है। आहत के ऑपरेशन के समय ऑपरेशन टीम में गगनदीप साथ में थे जिनके द्वारा आहत की एमएलसी तैयार की गई है। डॉ. गगनदीप द्वारा आहत से इलाज की अनुमति संबंधी अनुबंध पत्र भी तैयार किया गया था जो प्रपी–06 हैं।

14. डॉक्टर नवीन कुशवाह (अ.सा.07) ने प्रतिपरीक्षण में यह सही बताया कि आहत हरेन्द्र सिंह गुर्जर को पेट में आई चोट अगर एक्सीडेंट में कोई नुकीली चीज खुरचे या पेट के बल नुकीली चीज पर गिरे तो प्रपी–16 में वर्णित चोट आना संभव है। यह सही बताया कि उसके पास कोई हथियार या प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने से नहीं आया था। आहत को आई

चोट स्टील जैसी नुकीली वस्तु पेट पर घुसने से भी आना संभावित हो सकता है, आहत का तुरंत इलाज नहीं होता तो चोट गंभीर हो सकती थी वैसे चोट साधारण थी।

15. डॉ. नितिन तिवारी (अ.सा.08) की अभिसाक्ष्य के अनुसार दिनांक 12.03.2025 को हरेन्द्र गुर्जर को थाना मुरार से आरक्षक 22 वीरसिंह जयंत लेकर आया था। आहत के दांये हाथ की कलाई पर तिल था, आहत को एक चोट पेट के उपर थी जो स्टेब बाउंड था जो 2 गुणा .5 सेमी था। चोट का समय 24 घंटे के भीतर का था। इसके अलावा आहत को अन्य कोई चोट नहीं थी। उसके बाद आहत को जे.ए.एच. अस्पताल रैफर किया गया। उसके द्वारा तैयार की गई मेडीकल रिपोर्ट प्रपी–01 है।

16. डॉ. नितिन तिवारी (अ.सा.08) ने प्रतिपरीक्षण में यह सही बताया कि आहत हरेन्द्र सिंह गुर्जर को पेट में आई चोट अगर एक्सीडेंट में कोई नुकीली चीज खुरचे या पेट के बल नुकीली चीज पर गिरे तो प्रपी–16 में वर्णित चोट आना संभव है। यह सही बताया कि उसके पास कोई हथियार या प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने से नहीं आया था। आहत को आई चोट स्टील जैसी नुकीली वस्तु पेट पर घुसने से भी आना संभावित हो सकता है। यह सही बताया कि आहत का तुरंत इलाज नहीं होता तो चोट गंभीर हो सकती थी वैसे चोट साधारण थी। यह सही बताया कि आहत को उसके पास कभी नहीं लाया गया और न ही उसने मरीज का कोई उपचार किया, जो उपचार संबंधी दस्तावेज थे उसके आधार पर उसने अभिमत दिया है।

17. फरियादी जितेन्द्र सिंह (अ.सा.–02) की अभिसाक्ष्य अनुसार वह आरोपीगण रघुवीर उर्फ बंटी पाठक, विकास पाठक एवं गट्टा उर्फ सिद्धांत को नहीं जानता। घटना दिनांक 12.03.2025 रात्रि दस–पौने दस बजे की थी। उसके भाई हरेन्द्र से तीन लोगों से झगडा हुआ था। झगडे में उक्त आरोपीगण शामिल नहीं थे। तीनों लोगों ने भाई के साथ मारपीट व गाली

गलौज की थी और चाकू मारकर भाग गये थे। उसके बाद वह भाई को लेकर मुरार अस्पताल चले गये थे जहां से उसे जे.ए.एच. पत्थर वाले अस्पताल में रैफर कर दिया था। वहां पुलिस आई थी। उसने पुलिस को घटना के संबंध में जानकारी दी थी। पुलिस ने उसके समक्ष देहाती नालसी प्रपी–01 लेखबद्ध की थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके कथन लेखबद्ध किये थे। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर घटना स्थल का नक्शा मौका प्रपी–03 तैयार किया था। पुलिस ने उसके समक्ष कोई माल जब्त नहीं किया था।

18. उक्त साक्षी जितेन्द्र सिंह (अ.सा.–02) को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किये जाने के उपरांत पूछे गये सूचक प्रश्न पूछे जाने पर अभियोजन मामले के अनुसार कथन में समर्थन नहीं किया है, परंतु प्रपी–04 के मेमोरेण्डम, प्रपी–05 की जब्ती, प्रपी–06 इलाज की अनुमति पर स्वयं के हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है।

19. आहत हरेन्द्र (अ.सा.–03) के द्वारा भी फरियादी जितेन्द्र सिंह (अ.सा.–02) के अनुरूप की कथन करते हुये बताया गया है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता। पक्षद्रोही घोषित किये जाने के उपरांत सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस बात से इंकार किया कि बंटी पाठक व उसके दो साथी आये और उसे मॉ बहन की गंदी गंदी गालियां और जान से मारने की धमकी दी। इस बात से भी इंकार किया गया कि उसने विरोध किया तो बंटी पाठक ने एक चाकू निकालकर उसके पेट में मार दिया और चाकू मारकर बंटी व उसके अन्य दो साथी वहां से भाग गये।

20. उपरोक्तानुसार प्रकरण के महत्वपूर्ण साक्षी जितेन्द्र सिंह (अ.सा.–02) एवं आहत हरेन्द्र (अ.सा.–03) द्वारा अभियोजन मामले के अनुसार मामले का समर्थन नहीं किया गया।

21. प्रकरण के फरियादी जितेन्द्र सिंह व आहत हरेन्द्र द्वारा

आरोपीगण द्वारा कोई घटना कारित करना नहीं बताया गया है। उपरोक्तानुसार साक्षियों के कथन से यह प्रमाणित नहीं पाया जाता कि अभियुक्तगण द्वारा कथित घटना दिनांक, समय व स्थान पर अश्लील गालियां उच्चारित की थी। इसके अतिरिक्त फरियादी सहित किसी भी साक्षी ने अपने न्यायालयीन कथन में ऐसा भी नहीं कहा है कि गालियां सुनने में उन्हें बुरी लगी थी या उन्हें कोई क्षोभ कारित हुआ था।

22. प्रस्तुत प्रकरण में आहत हरेन्द्र के विरुद्ध प्रयोग किये गए शब्द मां–बहन की अश्लील गालियां दिये जाने संबंधी कोई साक्ष्य प्रकरण में नहीं है कि आरोपीगण द्वारा लोक स्थान में अश्लील शब्द बोलकर, उच्चारित कर गालियां दी जो दूसरे सुनने वालों को क्षोभ कारित करने वाली थी और ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं जिससे उक्त शब्द आहत को भी बुरे लगे अभियोजन द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है।

23. इस प्रकार अभियोजन की ओर से उपरोक्त विचारणीय बिंदु के संबंध में जो साक्ष्य प्रस्तुत की गई है उसके आधार पर अभियोजन युक्ति युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने आहत हरेन्द्र व अन्य को अश्लील गालियां उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया।

24. अभिलेख पर प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रपी–01 का अवलोकन करें तो उसके अनुसार अभियुक्तगण द्वारा आहत हरेन्द्र की मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित करना एवं अभियुक्त बंटी उर्फ रघुवीर द्वारा हरेन्द्र के पेट में चाकू मारा जाना लेख किया गया है, जबकि स्वयं आहत हरेन्द्र (अ.सा.03) ने न्यायालयीन कथन में उक्त तथ्य का उल्लेख नहीं किया है।

25. जहां तक आहत को आरोपीगण द्वारा धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने का प्रश्न है तो आहत हरेन्द्र (अ.सा.03) ने अपने कथन में आरोपीगण द्वारा उसे धमकी दिये जाने के संबंध में कोई भी कथन

नहीं किया है तथा बताई गई घटना के कुछ समय पश्चात घटना के दूसरे दिन ही प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा लिये जाने का तथ्य यह संदेह प्रकट करता है कि यदि आरोपीगण द्वारा कोई धमकी दी भी गयी थी तब भी ऐसी धमकी का उन पर ऐसा कोई प्रभाव नहीं हुआ था जिसे बी.एन.एस. की धारा 351(3) की परिधि में आपराधिक अभित्रास की कोटि का माना जा सके। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि आरोपीगण के विरूद्ध बी.एन.एस. की धारा 351(3) का आरोप भी संदेह से परे प्रमाणित नहीं है।

26. फरियादी जितेन्द्र सिंह (अ.सा.–02) की अभिसाक्ष्य अनुसार वह आरोपीगण रघुवीर उर्फ बंटी पाठक, विकास पाठक एवं गट्टा उर्फ सिद्धांत को नहीं जानता। घटना दिनांक 12.03.2025 रात्रि दस–पौने दस बजे की थी। उसके भाई हरेन्द्र से तीन लोगों से झगडा हुआ था। झगडे में उक्त आरोपीगण शामिल नहीं थे। तीनों लोगों ने भाई के साथ मारपीट व गाली गलौज की थी और चाकू मारकर भाग गये थे। उसके बाद वह भाई को लेकर मुरार अस्पताल चले गये थे जहां से उसे जे.ए.एच. पत्थर वाले अस्पताल में रैफर कर दिया था।

27. प्रकरण के महत्वपूर्ण साक्षी आहत हरेन्द्र (अ.सा.–03) के द्वारा भी फरियादी जितेन्द्र सिंह (अ.सा.–02) के अनुरूप की कथन करते हुये बताया गया है कि वह उपस्थित आरोपीगण को नहीं जानता पहचानता।

28. प्रकरण में अभियोजन कहानी के अनुसार किसी भी साक्षी अथवा फरियादी द्वारा चोट के संबंध में अपने न्यायालयीन कथन में नहीं बताया है। अभिलेख पर फरियादी को चोट के संबंध में कोई भी विश्वसनीय और सुदृढ़ साक्ष्य नहीं है। प्रकरण में स्वयं आहत एवं फरियादी द्वारा आरोपीगण को पहचानने से इंकार किया गया है जिससे यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाया जाता कि आरोपीगण द्वारा फरियादी के साथ मारपीट कर उसको स्वेच्छया घोर उपहति कारित की गई।

29. उपरोक्तानुसार अभिलेख पर आई साक्ष्य की विवेचना जिसमें फरियादी जितेन्द्र सिंह (अ.सा.–02) एवं आहत हरेन्द्र (अ.सा.–03) द्वारा आरोपीगण रघुवीर उर्फ बंटी पाठक, गट्टा उर्फ सिद्धांत पाठक, विकास पाठक को पहचानने से इंकार किया गया और सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी अभियोजन अनुसार मामले का समर्थन नहीं किया गया और इस बात से इंकर किया गया कि आरोपीगण द्वारा आहत हरेन्द्र को जान से मारने की नियत से सामान्य आशय के अनुक्रम में खतरनाक धारदार आयुध चाकू से प्राण घातक प्रहार किया। उपरोक्तानुसार प्रकरण के महत्वपूर्ण साक्षी आहत एवं फरियादी द्वारा आरोपीगण को पहचानने से इंकार किया गया। उपरोक्तानुसार उक्त तथ्य के संबंध में अन्य अभियोजन साक्षियों के कथन व साक्ष्य महत्वहीन हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त अभिलेख पर आई साक्ष्य की विवेचना से ऐसा कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं आया है जिससे अभियोजन मामले को बल प्राप्त हो। उपरोक्तानुसार अभिलेख पर आई साक्ष्य की विवेचना से अभियोजन मामले अनुसार यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाया जाता कि आरोपीगण द्वारा ऐसे आशय व ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में आहत हरेन्द्र पर चाकू से प्रहार किया कि उस कार्य द्वारा मृत्यु कारित कर देता तो हत्या का दोषी होता।

//विचारणीय बिंदु क्रमांक 6 पर निष्कर्ष//

30. इस प्रकार उपरोक्त विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 लगायत 05 के संबंध में जो साक्ष्य प्रस्तुत की गई है उसके आधार पर अभियोजन युक्ति युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है कि आरोपीगण ने दिनांक 12.03.2025 को रात्रि 21:45 बजे से 21:55 बजे के मध्य बारादरी कुंआ की गली, बारादरी चौराहा अंतर्गत पुलिस थाना मुरार जिला ग्वालियर में आहत हरेन्द्र को लोकस्थन या उसके समीप अश्लील गालियां उच्चारित कर उसे एवं सुनने वालों को क्षोभ कारित किया तथा आहत हरेन्द्र को चाकू जो कि एक खतरनाक, धारदार आयुध के रूप में

प्रयुक्त हो सकता है, से मारपीट कर उसके पेट में स्वेच्छया घोर उपहति कारित की तथा आहत हरेन्द्र को जान से मारने के आशय से चाकू जो कि एक खतरनाक, धारदार आयुध के रूप में प्रयुक्त हो सकता है, से प्राण घातक प्रहार किया, यदि उक्त कार्य द्वारा आप उसकी मृत्यु कारित कर देते तो आप हत्या के दोषी होते एवं आहत हरेन्द्र को संत्रासित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

31. विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 लगायत 05 पर आये निष्कर्षों के आधार पर अभियोजन द्वारा मामला आरोपीगण के विरूद्ध संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाये जाने से आरोपी रघुवीर उर्फ बंटी के विरूद्ध बी.एन.एस की धारा 296, 118(2), 109 एवं 351(3) के अपराध के आरोप से एवं आरोपी गट्टा उर्फ सिद्धांत एवं विकास पाठक को बी.एन.एस. की धारा 296, 118(2) सहपठित धारा 3(5), 109 सहपठित धारा 3(5) एवं 351(3) के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

32. आरोपीगण के विचारण के दौरान के उनकी उपस्थिति संबंधी प्रस्तुत बंध–पत्र एवं प्रतिभूति–पत्र भारमुक्त किये जाते हैं।

33. आरोपीगण को धारा 437ए द.प्र.सं. के अंतर्गत कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

34. आरोपीगण के द्वारा अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि के संबंध में दं.प्र.सं. की धारा 428 के अधीन अभिरक्षा प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

35. प्रकरण में जब्तशुदा चाकू मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट किया जावे एवं अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निराकरण किया जावे।

36. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 365/धारा 406 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत् इस निर्णय की एक सत्यप्रतिलिपि जिला मजिस्ट्रेट ग्वालियर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अपर लोक अभियोजक के माध्यम से प्रेषित की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(आत्माराम टांक)
नवम् अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
ग्वालियर (म0प्र0)

(आत्माराम टांक)
नवम् अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
ग्वालियर (म0प्र0)

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तारीख	जमानत पर रिहा किये जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दंडादेश	अधिरोपित दंडादेश	धारा 428 दं. प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
01.	रघुवीर उर्फ बंटी पाठक	दिनांक 29.12.2025	दिनांक 15.01.2026	बी.एन.एस. की धारा 296, 118(2), 109 एवं 351(3)	दोषमुक्त	—	दिनाक 29.12.2025 से दिनांक 15.01.2026 तक
02.	गट्टा उर्फ सिद्धांत	माननीय उच्च न्यायालय के एम.सी.आर.	—	बी.एन.एस. की धारा 296,	दोषमुक्त	—	निरंक

	पाठक	सी. क्र. 6446/2026 में पारित आदेश दिनांक 09.02.2026 के अनुसार अग्रिम जमानत पर रिहा		118(2) सहपठित धारा 3(5), 109 सहपठित धारा 3(5) एवं 351(3)			
03.	विकास पाठक	दिनांक 29.12.2025	दिनांक 20.01.2026	बी.एन.एस. की धारा 296, 118(2) सहपठित धारा 3(5), 109 सहपठित धारा 3(5) एवं 351(3)	दोषमुक्त	—	दिनांक 29.12.2026 से दिनांक 20.01.2026 तक

(आत्माराम टांक)
नवम् अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
ग्वालियर (म0प्र0)

A R TAUNK

Digitally signed by A R TAUNK
Date: 2026.07.30 16:46:50 +0530